सर्व श्री

1. ए० के० मैनन, अभिरक्षक, समूह के प्रमुख

2. जसपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

3. ए०पी० अय्यर, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

4. एच०सी० परेख, निदेशक (जांच) आई.टी. विभाग

5. सी० एम० मेहरा, उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

(ख) से (च) अंतर अनुशासनिक समूह ने जून 1994 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ साथ यह माना है कि एक दलाल (हर्षद एस० मेहता समूह) के खातों की संवीक्षा से समूह के 143 खातों में कुल 69.71 करोड़ रुपए की निधि की कुल हेराफेरी का पता चला है। उपर्युक्त राशि दलाल के खाते की कुल प्राप्तियां और भुगतान को दर्शाती है। यह स्थिति जानकीरामन समिति की रिपोर्ट और प्रतिभूति और बैंक लेनदेनों में अनियमितताओं पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी बताई गई थी। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट तो हर्षद मेहता समूह द्वारा किए गए 68,839.24 करोड़ रूपए के कुल प्रतिभूति लेनदेनों की मात्रा का भी उल्लेख किया गया था। यह राशि प्रतिभूति की कुल अंकित राशि को दर्शाता है। आई.डी.जी. द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित उपलब्धियों का सारांश संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफों में भी किया गया था जिसे 20-12-1994 को संसद में पेश किया गया था। आई.डी.जी. ने अपनी कार्रवाई अभी पूरी नहीं की है और अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी ही दी है।

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कार्यकरण**

**6047. श्री मूलचन्द मीणा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जून 1994 में तर्कसंगत मानदंड लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लीजिंग कंपनियों के संघ ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दो वर्ष की अवधि में उपयुक्तता संबंधी मानदंडों को लागू करने तथा उनका पालन करने की अनुमति दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी छूट/रियायत किन-किन आधारों पर मांगी गई हैं ; और

(ङ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विवेकपूर्ण मानदंडों में आय का निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति का वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान पूंजी पर्याप्तता और ऋण निवेशों का संकेन्द्रण शामिल है। ये मानदंड भारतीय रिजव बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं ताकि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का सुदृढ आधार पर कायकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजव बैंक ने सूचित किया है कि उसे वित्तीय कंपनियों के कतिपय संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया था कि मानदंडों की प्रभावी तारीख से स्थगित की जाए, एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को उधार देने के एक्सपोजर मानदंडों को शिथिल किया जाए, कतिपय ऋण/तुलनपत्र वाह्य एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित जोखिम भार को शिथिल किया जाए आदि।

अलबत्ता, अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक को उसमें कोई गुणवत्ता प्राप्त नहीं हुई।

**Arrears of income tax and Corporation tax**

6048. PROF. VUAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Comptroller and Auditor General in its report numbered V of 1995 on direct taxes receipts has said that the arrears of income-tax and corporation taxes continue to increase;

(b) if so, the details of such increase in the last three years giving the reasons for not realising the taxes; and

(c) the steps taken/proposed to be taken by Government to realise the dues speedily?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V-CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) Following is the total outstanding demand during the last three years :

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 8461 Crores |
| 1992-93 | 9488 Crores |
| 1993-94 | 13749 Crores |

Taxes remain unrealised for various reasons, such as demands being stayed by Courts, Settlement Commission, Tribunal, Income Tax Authorities, instalments being granted in cases of genuine hardship, demands not falling due, amounts claimed to have been paid but awaiting verification, demands due from companies which are in liquidation-demands due from assessees involved in insolvency proceedings, demands due from assessees who have left India and have no known assets, demands due from assessees who arc untraceable and/or having no known assets, etc.

(c) Appropriate administrative, legal and other measures are taken to reduce the demand. In bigger cases, dossiers are maintained and the position is reviewed regularly. Request is made to the concerned appellate authorities for early disposal of cases. Wherever the recovery proceedings are stayed by courts, steps are initiated to get the stay vacated. Coercive measures like attachment and sale of property, levy of Penalty etc. are also taken by the Department in suitable cases for speedy recovery of demand.

**Disposal of uncleared landed goods**

6049. PROF. VIJAY KUMAR MAL-HOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Public Accounts Committee in their latest report have stated that the Customs Department have failed to observe the prescribed procedures for the disposal of uncleared landed goods kept with the custodians beyond the permitted period;

(b) if so, whether the matter has been inquired into to find out the reasons for not following the laid down procedures',

(c) the steps taken to ensure the non-recurrence of the same in future; and

(d) the loss caused to the State by not following the laid down pro cedures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) Yes, Sir, it is learnt that delay in disposal of such goods was largely ascribable to want of adequate coordination between the customs and port authorities Instructions have since been issued to the cus-